न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :–2003 / 2018   प्रस्तुति दिनांकः–04.01.2018

1. शान्ति देवी विधवा श्री किशनलाल नायक निवासी 22 एलजीडब्लयु हाल आबाद वार्ड नं0 27 कस्बा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. गोपाल } पुत्रगण श्री किशनलाल जाति नायक निवासी 22 एलजीडबल्यु
3. गुलशन } हाल आबाद वार्ड नं0 27 कस्बा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. मु0 लीलादेवी पुत्री श्री पन्नाराम पत्नी श्री दीवानचन्द नायक निवासी वार्ड नं0 27 कस्बा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानर

..................(प्रार्थीगण)

बनाम

1. श्री पन्नाराम पुत्र श्री फुसाराम जाति नायक निवासी वार्ड नं0 27 शिवबाड़ी रोड़ चिमन की दुकान के पास सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार द्वारा श्री तहसीलदार, राजस्व तहसील सूरतगढ़
3. श्रीउपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय सूरतगढ ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना .पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक (प्रार्थी नं0 1 ता 3)
2. श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी नं0 1)

::– **निर्णय** –::   दिनांकः– 04/04/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88–53–209 आरटीए के तहत इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण नं0 1 ता 3 अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम के स्व0 पुत्र श्री किशनलाल के जायज वारिस है, तथा प्रार्थी नं0 4 अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम की पुत्री है। अप्रार्थी अप्रार्थी नं0 1 के स्व0 पिता श्री फुसाराम पुत्र श्री लाधुराम हरिजन (नायक) के नाम चक 22 एलजीडबल्यु (बी) खाता संख्या 95 / 83 में प0नं0 39 / 289 (28) कि0नं0 3 से 8 तक, 13 से 18 तक, 23 से 25 तक कुल 15.00 बीघा तादादी 3.795 है0 सिंचित व असिंचित भूमि थी। अप्रार्थी नं0 1 के पिता स्व श्री फुसाराम व माता ईमा देवी के देहान्त पश्चात् अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम के नाम 5.00 बीघा भूमि जरिये ईन्तकाल नं0 321 / 05.02.2016 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रार्थीगण 1 ता 3 स्व0 फुसाराम के पौत्र स्व0 किशनलाल पुत्र श्री पन्नाराम (अप्रार्थी नं0 1) के जायज वारिस है एंव प्रार्थी नं0 4 अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम की पुत्री होने के कारण हिन्दू उतराधिकार के तहत हक व हिस्सा व विभाजन पश्चात् कब्जा लेने के हकदार है। इस आशय से वाद प्रस्तुत किया है।

वाद में वर्णित विवादित अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम अपने नाम की उक्त 5.00 बीघा भूमि को प्रार्थीगण को हिस्सा देने से बचने के लिये भूमि रहन व बैचान करने पर उतारू है। आये दिन भूमि दलालो को बैचान करने हेतु दिखाई जा रही है। यदि अप्रार्थी इसमें कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा, पैतृक भूमि में हिस्सा प्राप्त करने से वंचित हो जायेगे तथा व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढेगी। जबकि प्रार्थीगण स्व0 श्री फुसाराम व श्री किशनलाल के जायज वारिस होने के कारण सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में पूर्णतया साबित है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए प्रस्तुत कर चक 22 एलजीडबल्यू (बी) खाता संख्या 95 / 83 प0न0 39 / 289 (28) कि0न0 3 से 8 तक 13 से 18 तक 23 से 25 तक कुल 15 बीघा में अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम अपने नाम दर्ज 5 बीघा तादादी 1.265 है0 भूमि किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को रहन, बैय व

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

हस्तान्तरण ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थीगण को हिस्से की कुल 2 बीघा भूमि का सन् 2005 मृत्यू से फसल का मुआवजा अथवा ठेका राशि 10000/–रूपया प्रति बीघा की दर से आर्थिक अनुतोष प्रार्थीगण को दिलाया जावें । हिस्सा व ठेका राशि न देने की सूरत में उक्त 2 बीघा भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावें। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि में स्व0 श्री फुसाराम के देहान्त पश्चात् विरासतन दर्ज अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम के नाम नाम की जमाबंदी चक 22 एलजीडब्लयु बी सम्वत् 2069 से 2072 तथा स्व0 श्री किशनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशनकार्ड की चित्रप्रतियां प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम ने दिनांक 29.10.2018 को प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं, दिनांक 14.01.2020 को प्रार्थी नं0 1 स्वयं हाजिर आकर उक्त विवादित भूमि में अपना हिस्सा न लेने हेतु एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी नं0 4 की हद तक निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। जो कि दिनांक 14.01.2020 को स्वीकार कर प्रार्थी नं0 4 की हद तक प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है।

दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण नं0 1 ता 3 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 श्री फूसाराम व दादी स्व0 ईमा देवी के देहान्त होने के पश्चात् प्रार्थी नं0 1 के ससुर व 2 व 3 का दादा अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम का उक्त 15 बीघा भूमि में से 5.00 बीघा भूमि विरास्तन मिली है। जो पैतृक भूमि है। जिससे प्रार्थीगण का अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम के जीवनकाल में ही हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण 1–2–3 के पूर्वज स्व0 श्री किशनलाल की अचानक दुर्घटना में मृत्यू होने पर मुआवजा की राशि अप्रार्थी नं0 1 पन्नाराम (पिता) को 30,000/– माता कुलवंती देवी को 30,000/–मिले शेष राशि प्रार्थीगण 1–2–3 को मिली उक्त मुआवजा राशि मिलने तक अप्रार्थी नं0 1 पन्नाराम व उसकी माता श्रीमति कुलवन्ती देवी ने प्रार्थीगण 1–2–3 के अपने साथ रखा । मुआवजा राशि मिलने के पश्चात् प्रार्थीगण 1–2–3 को अपने घर से निकाल दिया और अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम मकान व खेत में कोई हक व हिस्सा देने से साफ इंकार हो गया है।

अभिभाषक प्रार्थी ने आगे निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम अपने नाम की उक्त 5.00 बीघा भूमि को प्रार्थीगण को हिस्सा देने से बचने के लिये भूमि रहन व बैचान करने पर उतारू है। आये दिन भूमि दलालो को बैचान करने हेतु दिखाई जा रही है। यदि अप्रार्थी इसमें कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा, पैतृक भूमि में हिस्सा प्राप्त करने से वंचित हो जायेगे तथा व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढेगी। जबकि प्रार्थीगण स्व0 श्री फुसाराम व श्री किशनलाल के जायज वारिस होने के कारण सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में पूर्णतया साबित है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार कर वाद के निर्णय तक चक 22 एलजीडब्लयू (बी) खाता संख्या 95/83 प0न0 39/289 (28) कि0न0 3 से 8 तक 13 से 18 तक 23 से 25 तक कुल 15 बीघा में अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम अपने नाम दर्ज 5 बीघा तादादी 1.265 है0 भूमि किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को रहन, बैय व हस्तान्तरण ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थीगण को हिस्से की कुल 2 बीघा भूमि का सन् 2005 मृत्यू से फसल का मुआवजा अथवा ठेका राशि 10000/–रूपया प्रति बीघा की दर से आर्थिक अनुतोष प्रार्थीगण को दिलाया जावें । हिस्सा व ठेका राशि न देने की सूरत में उक्त 2 बीघा भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावें। अपने कथन की पुष्टि में RRT 2017 (1) PAGE 528, RBJ 2016 PAGE 468 प्रस्तुत की।

अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम के अभिभाषक ने निवेदन किया कि विवादित भूमि का पैतृक सम्पति की श्रेणी में आने का तथ्य स्वीकार नही है। अप्रार्थी के पिता श्री फुसाराम पुत्र श्री लाधूराम का वर्ष 1980 के लगभग निर्वसयती देहान्त हो चुका है तथा उनकी मृत्यु के बाद कृषि भूमि हिन्दू उतराधिकार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार अप्रार्थी तथा उसके भाई व बहन में डिवोल्व हो गई है तथा पैतृक सम्पति एवं विरासतन श्रेणी से बाहर हो चुकी है। श्री फुसाराम का 1956 के बाद देहान्त होने के कारण उतरदाता अप्रार्थी तथा उसका भाई भीखाराम व बहन गुड्डी देवी सम्पति के वास्तविक स्वामी हो चुके है तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार वास्तविक स्वामी होने के कारण भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी से बाहर हो चुकी है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण खारीज किया जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1 ने आगे निवेदन किया कि मृतक किशनलाल को अप्रार्थी नं0 1 द्वारा पढा लिखाकर पालन पोषण किया गया हैं तथा उसका विवाह कर आवश्यक धन राशि व हिस्सा देकर 1986 से पूर्व ही अलग कर दिया था। इसलिये प्रार्थीगण का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही रहा हैं एवं अप्रार्थी नं0 1 उक्त भूमि का वैध स्वामी है। वह उसका शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहा हैं। इसलिये प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति या असुविधा होने की सम्भावना नही हैं एव ना ही प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। कथन की पुष्टि में RRT 2003 PAGE 1267, RRD 1995 PAGE 640, RRT 2011 PAGE 84, RLW 2004 PAGE 324 के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत निर्णयों पर मनन किया गया। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रार्थीगण 1 ता 3 उसके मृतक पुत्र किशनलाल के पत्नी व पुत्र हैं इस तथ्य को अपने जबाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। चक 22 एलजीडबल्यु (बी) खाता संख्या 95/83 में प0नं0 39/289 (28) कि0नं0 3 से 8 तक, 13 से 18 तक, 23 से 25 तक कुल 15.00 बीघां तादादी 3.795 है0 सिंचित व असिंचित भूमि अप्रार्थी नं0 1 के स्व0 पिता श्री फुसाराम पुत्र श्री लाधूराम के नाम दर्ज थी। अप्रार्थी नं0 1 के पिता स्व श्री फुसाराम व माता ईमा देवी के देहान्त पश्चात् अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम के नाम 5.00 बीघा भूमि जरिये ईन्तकाल नं0 321/05.02.2016 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। जो कि पैतृक भूमि की परिभाषा में आती है। दूसरी तरफ अप्रार्थी नं0 1 पन्नाराम विवादित भूमि को अपने जबाब में स्वअर्जित सम्पति दर्शित कर रहा है। पैतृक सम्पति या स्वअर्जित सम्पति का प्रश्न दावा में साक्ष्य पर निर्भर करता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णय RBJ 2016 PAGE 468 प्रार्थीगण को लाभ पहुंचा रहा है। परन्तु जैरवाद रकबा संयुक्त खाता में दर्ज है। संयुक्त खाता में रिसीवर नियुक्त नही किया जा सकता है। अप्रार्थी नं0 1 पन्नाराम द्वारा प्रस्तुत निर्णय RRT 2011 PAGE 84 प्रार्थीगण व अप्रार्थी दोनो को लाभ पहुचा रहा है। जैर वाद रकबा अप्रार्थी नं0 1 पन्नाराम के नाम दर्ज होने से रकबा बैचान होने की भी सम्भावना है। यदि रकबा बैचान हो जाता हैं तो प्रार्थीगण का वाद बैसुद्व हो जायेगा।

प्रारम्भिक तौर पर प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा सन्तुलन तीनो तथ्य प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में दर्शित होते है। इन सब तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर वाद के निर्णय तक चक 22 एलजीडब्लयू (बी) खाता संख्या 95/83 प0न0 39/289 (28) कि0न0 3 से 8 तक 13 से 18 तक 23 से 25 तक कुल 15 बीघा में अप्रार्थी नं0 1 श्री पन्नाराम अपने नाम दर्ज 5 बीघा में से प्रार्थीगण के हिस्सा तक की 1–00 बीघा भूमि किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को रहन, बैय व हस्तान्तरण ना करें तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पूर्व में जारी स्थगन आदेश में आशिंक संशोधन करते हुये जैरवाद रकबा में प्रार्थीगण नं 1 ता 3 के 1/5 हिस्सा यानि 1.00 बीघा भूमि तक की रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे जाने का स्थगन आदेश कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 18:04:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: